Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार

स्वत्व संख्या- 21/19

सी. आई. एस.सं.-21/19

विजेंद्र मिश्र बनाम पंकज मिश्रा एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
03/11/23	वादी की ओर हाजिरी नहीं है | प्रतिवादी सं.-2,3 एवम 5 की और से वकालतन हाजरी है | यह वाद वादी की ओर से दिनांक 24/05/22 को प्रस्तुत आदेश 22 नियम 4,9 दीवानी प्रक्रिया संहिता एवम धारा 5 परिसीमा अधि.के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई एवम आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया | उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 सचिता देवी की मृत्यु दिनांक 10/09/20 को हो गई है | प्रतिवादी सं.4 के पति अभिनन्दन प्र.यादव इस वाद मे प्रतिवादी सं.3 है | प्रतिवादी सं.4 अपने पिछे तीन पुत्र सन्तोष यादव,अनमोल यादव एवम पिन्टु कुमार व पुत्री रानी देवी को छोडकर मरी है वादी को प्रतिवादी सं.4 की मृत्यु की सुचना दिनांक 11/04/22 को हुइ जिस कारण से वादी नियत समय मे यह आवेदन प्रस्तुत नही कर सका है अतः विनम्र निवेदन है कि वाद से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए | प्रतिवादी सं.2,3,5 की ओर से प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है | उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख की अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यु हो गई | वादी को प्रतिवादी के मृत्यु की सुचना विलम्ब से प्राप्त होने से वादी ससमय आवेदन नही दे सका है अत : वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त तीनो आवेदन को न्यायहित मे स्वीकृत कर बिलम्ब को माफ कर उपशमन को अपास्त कर वाद पत्र से प्रतिवादी सं.4 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को वाद मे प्रतिस्थापित किए जाने का आदेश	

लगातार 03/11/23	दिया जाता है।वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की तिथि से14 दिन के भीतर इस आदेश का पालन करें । वाद आगामी दिनांक वास्ते समन सामग्री दाखिल करने हेतु नियत| लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार	